

### 2.4.1

Number of full time teachers against sanctioned posts during the year.

## D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur Chhattisgarh, India 495001



### D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

### Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

### **Summary-Sheet**

Criteria	2 – Teaching Learning & Evaluation	
Key Indicator	2.4: Teacher Profile and Quality	
Metric	2.4.1: Full time teachers against sanctioned posts during the year	
Full time teachers and sanctioned posts	Year	2021-22
sanctioned posts	No. of full time teachers	84
	No. of sanctioned posts	91

N	ote	•

Since all supporting documents for this metric exceeds the upload limit of 5Mb, hence we have hosted the scanned documents as per SOP on institutional website on the following links,

have hosted the scanned documents as per SOP on institutional website on the following links,		
Description	Relevant link	
1) D 1 C 2 1 1 ( 1011 1 4 C AV	1 2	
1) Breakup of sanctioned post and filled post for AY	, A S A	
2021-22 attested by principal is attached.	9-9	
(Appendix-I)	3	
2) List of faculty members authenticated by head of	330	
institute is attached for AY 2021-22.	https://dpvipracollege.in/agar-2021-22/	
(Appendix-II)	https://dpvipraconege.m/aqar-2021-22/	
3) Appointment letter of faculty members are attached		
as per above list.		
(Appendix-III)		

IQAC Co-ordinator D.P. Vipra College BILASPUR (C.G.)

**IQAC** Coordinator

PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

Principal



## Appendix I

### D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur Chhattisgarh, India 495001



### D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

Letter No./309 /Estb/Post/2021-22

Bilaspur, Date 18.08.2021

Number of sanctioned posts for teaching faculty in the session 2021-22

S.No.	Post of Subject	Sanctioned Posts
1	Principal	1
2	Asst. Prof. Political Science	4
3	Asst. Prof. Hindi Literature	5
4	Asst. Prof. Economics	4
5	Asst. Prof. Sociology	5
6	Asst. Prof. Geography	5
7	Asst. Prof. English	5
8	Asst. Prof. History	4
9	Asst. Prof. Commerce	10
10	Asst. Prof. Microbiology	4
11	Asst. Prof. Batany	4
12	Asst. Prof. Zoology	4
13	Asst. Prof. Maths	4
14	Asst. Prof. Physics	5
15	Asst. Prof. Chemistry	7
16	Asst. Prof. Electronics	2
17	Asst. Prof. Computer Science	10
18	Asst. Prof. Public Administration	2
19	Asst. Prof. Biochemistry	2
20	Asst. Prof. Biotechnology	2
21	Asst. Prof. Management	3
	Grand Total	91

Excluding the post of Principal, 91 posts of Assistant Professor approved.

059 gras Principal

D.P. Vipra College

Bilampi (C.G.)

डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

Chairman

D.P. Vipra College

Bilaspur (C.G.) अध्यक्ष

प्रशासन समिति

डी.पी.विप्र महाविद्यालय

विलासपुर (छ.ग.)



## Appendix II

### D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur Chhattisgarh, India 495001



### D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.-07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email-dpvipracollege@gnail.com

### GRANTED ASST.PROFESSOR LIST

### SESSION-2021-2022

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	DR. SMT. ANJU SHUKLA	PRINCIPAL	SOCIOLOGY
2	DR. K.B. SINGH	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
3	DR. VIMAL KUMAR PATEL	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
4	DR. SADHANA SHOME	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
5	DR. SANJAY KUMAR TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
6	DR. K. K. SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS

Principal

D.P. Vipra College

Bilaspur (C.G)

D. P. VIPRA COLLEGE BILASPUR (C.G.)



### D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. – www.dpvipracollege.in, Email-dpvipracollege@gmail.com

### NON- GRANT ASST. PROFESSOR LIST

### SESSION- 2021-2022

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	DR. R. N. YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
2	DR. M. L. JAISWAL	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
3	DR. VIVEK AMBALKAR	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
4	DR. TARU TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
5	DR. SUSHMA SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
6	DR. KHAGENDRA KUMAR SONI	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
7	DR. SUNITA YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
8	SHRI A. SRI RAM	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
9	SHRI JAYANTA ROY	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
10	DR. MANISH KUMAR TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
11	DR. RENU NAYAR	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
12	DR. OORJA RANJAN SINHA	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
13	DR. ASHISH SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
14	DR. M. S. TAMBOLI	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
15	SMT. SNEHLATA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
16	DR. SHUBHRAJA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
17	SMT. SHIRTI SOMVANSHI	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
18	SHRI DEEPAK TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
19	SHRI NIDHISH CHOUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	ELECTRONICS
20	DR. RASHMI SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
21	DR. ABHA TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
22	DR. ASHUTOSH PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
23	SMT. RAJANI KUJUR	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
24	DR. SIKHA PAHARE	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
25	DR. SMRITI RANI PRAKASH	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
26	SMT. TOSHIMA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
27	SHRI VISHWAS VICTOR	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
28	DR. RICHA HANDA	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
29	DR. SURUCHI MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI
30	SHRI SUBIR SEN	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
31	DR. DURGASHARAN CHANDRA	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS

Principal D.P. Vipra College Bilaspur (C.G)

PRINCIPAL D. P. VIPRA COLLEGE BILASPUR (C.G.)



### D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001;2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpripracollege.in, Email-dpripracollege@gmail.com

### CONTRACTUAL ASST. PROFESSOR LIST

### SESSION- 2021-2022

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	SMT. KIRAN DUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	PUBLIC ADMINISTRATION
2	SHRI PRADEEP JAISWAL	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
3	SMT. REENA TAMRAKAR	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
4	SHRI YUPESH KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
5	SHRI MAYANK CHANDRA	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
6	SHRI VIKKI JAISWAL	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
7	SHRI BRIJESH KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
8	SHRI ISHWAR SURYAWANSHI	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
9	MISS ANUPAMA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
10	MISS VARSHA SINGH	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
11	MISS ANJALI SONA	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
12	MISS NEELAM SINGH SINGHEL	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
13	MISS POOJA DUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
14	SHRI RUPENDRA SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
15	SHRI SHISHIR SHUKLA	ASSISTANT PROFESSOR	MANAGEMENT STUDIES
16	MISS ANKITA SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	MANAGEMENT STUDIES
17	MISS RUCHITA SHRIWASTAV	ASSISTANT PROFESSOR	MANAGEMENT STUDIES
18	SHRI LAVRAJ VISHWKARMA	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
19	SHRI DEEPAK KU. KASHYAP	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
20	SHRI MOTILAL PATLE	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
21	MISS PRACHI TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	BIOTECHNOLOGY
22	SHRI AJIT KASTURIYA	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
23	SHRI NIRAJ SONI	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
24	MISS VOLGA VYAS	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
25	SHRI GENDLAL BANJARE	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
26	SHRI GURUDEO KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
27	MISS SHIKHA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
28	SHRI DIVYANSHU SWARNAKAR	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
29	SHRI PRAKASH CHATURVEDI	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
30	MISS ANJU HALWAI	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
31	MISS JHARNA PATEL	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
32	MISS KANCHI BAJPAI	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
33	SHRI KAILASH DEWANGAN	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
34	SHRI TARUN KUMAR VISHWAS	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
35	SHRI LOKESH KUMAR VERMA	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI

36	SHRI ARCHANA SINGH THAKUR	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI
37	MRS. SUPRIYA SHRIWASTAVA	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI
38	MISS NEHA MEGHANI	ASSISTANT PROFESSOR	BIO CHEMISTRY
39	SHRI BHAGWAT KAUSHIK	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
40	MISS SAPNA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
41	MISS VARSHA RANI DUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
42	MISS ANJALI VAISHNAV	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
43	SMT. ABHA BAJPAI	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS
44	SMT. NEELIMA KESHARWANI	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS
45	MISS NEHA CHAUHAN	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS
46	SHRI SARVESH DEEP	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
47	MISS ABHILASHA SINGH	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE

Principal
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G)

PRINCIPAL D. P. VIPRA COLLEGE BILASPUR (C.G.)



# Appendix III

## D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur Chhattisgarh, India 495001

## वर देख, प्राचार्य वागरवा प्रवाद भवत मवाभववालय भवतातपुर

81710 ---

पेंबलासपुर, दिनाव -14

ध्य मधाविष्यालय को पथन सी गति जारा पथन विधे गर पदाभिताली इ. अंतु । तायारी , जिनली निम्हिकत प्रणासन सीमीस को बेठक दिनांक- 12-11-70 में अनुगोरित ही गयी । हो इस गराविधालय में प्रो प्ल के प्राप्ति निका से ररनंत दुधे विनवीयत पद पर सगाजारित्र विषय ते स्थान्धान सहा गाट्यापक के वत पर, मन्त्र-उच्य भिक्षा सनुधान आयोग दीरा अनुगोदन की प्रत्यामा में 13-11-90 थ-ारितो वेसन गान 2200-75-2000-100-4000 वे अतंगत प्रारीम्म वेतन तथा ंदिन जारा रिक्षे वा रहे मंहमाई भरता है साथ स्व वर्ष है विधे परिवासी पर 🐉 विश्वास विया जाता है। यह आदेश निगन क्ली दे साथ लागू होगा :-

- ानशां उत्त वितो भो पक्ष दारा निसुक्त विशे गये व्यक्ति या निस्नित अध्यारी ारा । धना वोई कारण बतार एक महोने को नी। द्य देवर समाप्त की जा तक्सी छ ।
- यह भिल्ला तमी मान्य होगी, जब है अह रित्यारो पांच स्पर्ध है अन्याभिक मुद्रात पर क्यिने रत प्राय पर अनुबंध हस्ताधर वरवे प्रमाणित वरेगी, जो सीमात वे सीहता को उन्नी की वीध्त वरता हो ।
- न हु अध् रिवारी महाविष्ठालय के सभी निवमी एवं विनयमों से शासित होगी, जो महाविधालय के वर्मधारियों तो अवनाम सेवा की कर्ती, बाल बलन एवं अनुगातन स वे संबंध में प्रभाव जातता हो ।

अस्यक्ष के आदेशानुसार

प्रभारी प्रांपायं, ति । पो । निम्ना महार्मित्र गालया । वारिका पराय किंत्र ममाविद्यालया विलारापुर, रिनिषिड्य वर्ड कर १०

पुद्रवादन जुमांच हिंद 5 रहणा १९०

प्रीतीलीप:-

। श्रीमाच साध्य म.प्र. उच्य विका अनुदान आयोग भोषाल को भेज कर निवेदन


व कि भेनश्रीकत का अनुमोदन हैं कियाने का कहट करें।

2. हुस्सा यव - गुरू घासोदाश विश्वविद्यालय विशासपुर को तुवनार्थ।

35 है. अर्थ प्रवारी - भी इसकर तथाद रिष्यारी भाम तास्ट बगारा पत्रसीत जाजगोर जिला विलासपुर को सुवनाधि एवं आवश्यक वार्थवाटी हेतु ओ जिला।

एप । अपने पद का वार्यभार तीन दिवस के भीतर गृहण वरें।

व्भारी प्राचाय



(1659 \$10EM)

### OFFICE OF THE PRINCIPAL AND SECRETARY, GOVERNING BODY SNATAK NAHAVIDYALAYA: DILASPUR.

QBDBR

No. 367 /Est. /80., dated Bilaspur, the 11th November 1980 Shri K.B. Singh, a candidate for appointment, is app-ointed to officiate as Lecturer in Sociology in this college until further orders in the sea le of pay of Rs. 620-1800 with usual AD, A. and other allowmoss, with effect from the 15th November 1980, subject to the following candidates: -

- (1) That his appointment is subject to the approval of the M.P. Vehcha Shiksha A miden Ayog, Bhopel & Revishanker University, Refpur,
- (2) That his appointment is approved by the Governing Body, 8 natek Mehavidyalaya, Bile pur.

a na

(8) that he shifts by the services conditions applicable to the exployees of the Shata k M shavidyalya, Bilaspur. & R.N. Shull

Principal & Secretary.

GOVERNING BODY,

Snatak Mahavidyalaya, Bilasp ...

No. 767 Bett. /80. dated Misspur, the 11th November 1980.


Cop y forwarded to Shri K.B. Singh, Nariyara,


district B ilaspur, for information ending necess ary setion.

Principal & Secretary.

HORESHIRS HODY,

Crain's Manay Llyajeya, Bilasper







Strates at with ord to entiry from all and order strates of a date state of a date of

JT-19

IN L. ATLEY OFFICER, DIT' VALUE & COAMPATER TOPALS ( 40000L.) ...

About 03, dated 0 12 ampires the Shirl Vinni Rumar Patol, in conditiate for appointment noistoly control of the branch of the recommendation of the that a the control of the Committee, and Loothy and In Sociology I in his local classific capacity, in this collars until further orders thickle sandtaned seaso of ipay of Hr. 700-1 600 VI th invine do amo payal to various, with of fact a non-the West Minist tens with got to the collowing conditions

(1) This the appointment Lagableat to the approval of the M.E. Uchena Shiksha Amidan Ayog, Blopal, and the Guru Chamidan University, Amidan Files Los 

(2) - 4 pat parable a by the extra condutions applic to the amployees of the wax 12.0. Vipin College,

(ILN Shirks a.) noing & Secretary. मानाम एक शाचिक प्रधासन सा ति

वारिका भागर ११४ में शामिका

Lstt/83. dated Billapur, the /// August 1985

77. Copy forwarded to Shri Vimal Kumar Petel. Bilaspur, for information and necessary action. He will pleare his duties as a Lecturer immediately and subject to his agreement to the move terms and conditions. Joining report may also please be submitted in triplicate.

Copy to Shri C.S.Patel, Lecturer, D.P.Vipre College,

Bil aspur, for information.

(R.N. Shukla.) Pincipal A Secretary

PUTE WORLD THE PERMANENT ACCOUNT BUNGER

AGREPS 200C

THE AGE

VIMAL KUMAR PATEL

PRI OF THE FATHERS NAME

JANAK RAM PATEL

GET THE BOTH FATHERS NAME

JANAK RAM PATEL

ETGIET /SIGNATURE

Meds

COLDUSTIVER OF DICLAGE TAX DESCRIPTION

कार्यांनय, प्राचार्य, दारिका प्रसाद विष्ठ मधाविशालय, विस्तासपुर, म०५०. अर्थेत प्रमांक --- /स्था/०४ विकासपुर, विमांक रेड विकास

मिम्न लिखित अन्यार्थियों को बताये गये विवय के क्यावयाता के पद पर धेतनमान 700-40-1100-5-1300 अतेसमेट-50-1600 मत्र रूपये पर देय मेंदगार भत्ता पर्व अस्य भत्ता सचित, पदभार अध्यम करने की तिथि से रित्रपूरी नियुषत किया जाता है।

कुमाक अन्याभी का नाम पद नाम **विषय** 

- कु साधना बोत । 1. समाज्यास्य क्याख्याता
- भोनता मधु योरापराय
- वे नियुवितयां निम्न शतीं के अधीन होगी । 3.
  - म030 एवव शिक्षा अनुदाम आयोग, भोगाल पर्स गुरुवासी दास टिक्ट विवासय, विसासपुर हारा अनुमीदन किये थाने उपरान्त बी नियुव्यतयां मान्य बीगी ।
  - व्यासन समिति स्नातक महाविधालय, विलासपुर द्वारा अनुमोदित होने पर नियुवितयाँ मान्य होगो ।

अस स्नातक मधारिकालय, विलातपुर से लागू सेवा नाती द्वारा उवत उभ्यायां शांसित रहेंगे ।

> प्राचार्य एवं सिचय, प्रशासन समिति, डा०प्राविष् महाविष् वितासम्रा

प्रकृति अता-1 /स्था/हर वितिलिंग :-

विनाम ---2 1 po 1

- भो मान् सर्विव, माज्य क्या शिवा अनुदान आयोग, भोषाल ।
- गोमान् भुलमीवि, गुल्डामीदाम विस्थिवशाल्य, विकासन्त । . . . 2 •
  - जिला रोजगार अधिकारी, विलासपुर को सुवनाओं। 3.
- कुमारी साधना बीस, बारा भी बी के बोस, ववादर नं 536/4, बार टो पत कालीनो, विलासपुर ।
  - भीमती मधु दौराईराचे, दारा भी पत-बो-दौराईराच, िडंटो चोष ध्योनियर सो बेंगला नं 1048, रेख्ये कालानो, विलासपुर ।

की मूबनार्थ पर्व आव्ययक कार्यवाको हेतु अग्रेपित ।

मावार्य, पर्व स्विवत,

भारत सरकार GOVT.OFINDIA



SADHANA SHOME BIMAL KUMAR BOSE

01/07/1962 Perfishent Account Number AVRPS0169E

St & L., State Signature





आदेश

श्री संजय कुमार तिवारी आ त्मज श्री एम पी ितवारी, एम एं , एम पिल सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी हेतु चयनित एवं पैनल में पृथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के रिक्त पर के विरुद्ध वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 पृतिमाह तथा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परीवेशा अविध पर नियमित रूप से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्प से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद श्रिक्त पर नियमित क्ष से स्राध्यापक अंग्रेजी के पर श्रिक्त पर नियमित क्ष से स्राध्यापक अंग्रेजी के पर श्रिक्त पर नियमित क्ष से स्राध्यापक अंग्रेजी के पर श्रिक्त पर नियमित क्ष से स्राध्यापक अंग्रेजी के स्राध्यापक अंग्रेजी के स्राध नियमित क्ष से स्राध्यापक अंग्रेजी के स्राध नियम स्राध स्राध

३। इनकी जन्म तिथि 10 1965 है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन पुश्च महाविद्यालय पृशासन समिति अपनी बैठक दिनाक ३४३ । 14 1 197 को अपने विष्य कृमा के 07 में अनुमोदन किया है। तथा नियमित नियुक्ति स्युक्त संवालक, उच्च शिक्षा विभाग, म०प०शासन, उनके पत्र कृमा के 1312/13/1/ब/96-97/३ 1855 दिनाक 5 4 97 को मान्य विया है।

§2
§
अनकी सेवाएँ यदि परिवेद्या अविध में असती बजनक पाई गई तो उन्हें
इस कार्यकाल में बिना कोई सूचना के सेवाएँ से कभी-भी अलग किया
जा सकता है और सतो ब जनक परिवेद्या अविध पूर्ण करने पर उन्हें
स्थाईकरण की पात्रता होगी।

श्री संजय कुमार तिवासी पद भार गृहण करने की तिथि से एक साल की अवधि में 5.00 रूपये की आइडेम्नीटी स्टाम्म बाण्ड पर सेवा इकरारनामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय में स्थाई प्रति

अमिलाल केटन के लिए प्रस्तुत करेगा।

श्रीमाल पान्पाप अर्थित प्रसाद किए प्रसाद किए प्राचार्य अव्यक्त प्राचार्य अव्यक्त किलि प्राचार्य अव्यक्त करेगा।

विलि अप स्था अव्यक्त करेगा।

विल अप स्था अविक स्या अविक स्था अविक

पृतिलिपि:-

838

शि श्री संजय कुमार तिवारी, बी-1/245 गैवरा प्रोजेक्ट 455 452 जिला बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ कि वे महाविद्यालय में अपना कार्यभार 10 मई 97 तक आवश्यक रूपक से गृहण करें। पद भार गृहण करते समय वे

अपना समस्त प्रमाणा पत्रों की मूल के साथ एक छायापृति महाविद्यालय के परीक्षणा/निरोक्षण के लिए प्रस्तुत करें। 10 \$013

848

२१.५.५) कुल सचिव, गुरू धासीदास वि•वि• विलासपुर यह इनके प्•कु• 18/97 स्कृतिग्रस्बद्धता/बस/95-96 दिनाक 22•11•96 के तारतम्य में आवयश्क सूचनार्थं

₹3
 संयुक्त संवालक उच्च शिक्षा विभाग, अशासकीय संस्थाओं से
संबंधित शाखा इ-2/84 महावीर नगर, भोपाल को उनके पत्र
कुमाक 1312/13/ब/96-97/1855 दिनाक 5.4.97 के संदर्भ
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री संजय कुमार तिवारी
के पदभार गृहण करने के पश्चात् उनके कार्यभार गृहण करने का पृति—
वेदन के साथ वेतन पची जारी करने के लिए आपको उचित समय
पर भिजवाया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पृशासन समिति द्वारिका पृसाद विपृ महाविद्वालय को सूचनार्थ

ग्नामदेव// शिक्षा श्री. भ. भी श्री. भ. भी प्राचार्य एवं सचिव केवार वर शायक पृशासन समिति, इशाय वर्गित द्धारिका प्रसाद विष् महा विश्व स्थापिक वर्गित विषय जिलासपुर।मंपूरी विषय विश्व वर्गित वर्गित

-=:: 0 ::=-



## कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विष् महाविधालय, विलासप्राम प्र

न्माक ----/स्थापना/97

आदेश

डा॰ कृष्ण कुमार शर्मा वस्त श्री एम॰ पी॰ शर्मा, एम॰ ए॰, एम॰ पिल, पी॰ एवं डी॰ श्रेंथ्या स्त्र सहायक प्राध्यापक पद हेतु चयनित एवं पेनल में पृथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अर्थतास्त्र के पद पर उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कृमाक एफ-४९/23/९५/सी-3/३८ दिनाक रा॰। ४० एवं २३० ४० ९५ द्वारा स्वीकृत नवीन पद के विस्त्र वेतनमान २२००-७७-२५००० /- पृतिमाह तथा समय - समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण की तिथि पक वर्ष की परिविकार अविध पर जिम्मिन सहायक प्राध्यापक पद में निम्निलिखित अनुबंधों में नियुक्त किया जाते हैं।

टीप

हा उनकी जन्म तिथि। •७७ ६८ है तथा उनकी नियु वित का अनुमोदन हम महा विद्यालय के प्रशासन समिति की बैठक दिना के 16 • 6 • 97 के विषय कुमा के 05 में अनुमोदन किया गया है तथा नियमित नियु वित संयुक्त संवालक उच्च शिक्षा विभाग, म•प्•शासन उनके पत्र कुमा के 1312/13/9-व/97-98/नि• /4897 दिना के 8 • 8 • 97 के द्वारा सान्य किया है।

\$2 हिनकी सेवाएँ यदि परिवीक्षा अविध में असती व पार्च गई तो इन्हें कि सिंग के सेवाएँ समाप्त की जा अक्षेत्र सकती है तथा सती व जनक परिवीक्षा अविध पूर्ण करने पर उन्हें स्थाई करण की पात्रता होंगी।

§3 हा के के शर्मा के पदभार गृहण करने की तिथि से एक साल की अविधि में 5 00 हपये की बाइडेम्नीटी स्टाम्म बाण्ड पर सेवा इकरार नामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय के स्थाई अभिलेख हैत प्रस्तुत करेंगे।

प्राचार्य, प्राचार्य, द्वारिका प्रसादकाविषु महाविः प्राप्तिकार्यस्य (मेर्डिप्) प्रवादन कुमाक -----/स्थाः/११

दिनाव : 1.9.97

पुतिलिपि :-

हा के के शर्मा लदर्थ सहायक प्राध्यापक की पी लिय महाविद्यालय की आवायक एवं कार्यवाही हेतु आपसे अनुरोध है कि हक्त आदेश के तहते आप अपना कार्यभार शीध ग्रहण कर पदभार करने का पृत्तिवन प्रस्ति करें। ता कि ये संयुक्त संवालक, उच्च शिक्षा विभाग भीपाल को कितन पवी के लिए भिक्रवाया जा सकें। पदभार ग्रहण करते समय के अपना समस्त प्रमाण पत्र उपाध्य मूल में तथा उसकी एक छाया शितिलिप महाविद्यालय में परिकार निरोधण के लिए प्रस्तृत करें।

कुल सचिव, गुरुधासीदास वि वि विलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु यह उनके पत्र कुमांक 589/अकादमी व्यन समितिर ९७ विनाक 30 थे 4 . 97 के तारतम्य में

संयुक्त संवालक उच्च शिक्षा विभाग ई-2/94 महावीर नगर भौपाल को उनके पत्र कुमांक 1312/13/9-व/97-98/4897 दिनांक 8·8·97 के संदर्भ में डॉ॰के के शर्मा दारा पदभार ग्रहण करने का पृतिवेदन वीपको उत्तिव समय पर वेतनपद्यी हेतु भिजवाया जायेगा।

शीमान् अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, द्वारिका पुसाद विषु महावि। विकासपुरः

स्तान : कुछ नहीं।

कारिका पुसाद विवास महाद्वितः विकास विवास विवास

//ना मदेव//

334

### :: वा--दे--श ::

### क्रां के र था 0 /80 क्रिनासपुर, दिहा के नव मार, 87

क्स नहा विद्यालय की वसन सनिति द्वारा वसन किये गये बदा भिना श्री राजा धार इसाद गण्डे के जिनकी नियुक्ति स्थिगत इशासन सिनित की बैठक दिल्लांक ।। '।। '87 हैं उनुनो दित की गई,' दस नहा विद्यालय हैं "उधारित्र" विषय के व्यालयाता गद गर वर्तनान विस्मान स्थ 700-40-1 100-50-1 300 - मिश्र थ्रिकाला - 50-1600 के झंतात हा है भिक वेतन तथा संस्था द्वारा किये जा रहे झंला है भत्ता के साथ 88 का यभार गृला करने की तिथि से एक वर्ष के लिय गरिवीलका गर नियुक्त किया जाता है। यह आदेशा निम्न शांतों के साथ लागू होगा :-

नियुक्ति किसी भी पक्ष द्वारा नियुक्ति किये गये ज्यक्ति या नियुक्त विध्वारी द्वारा किना कोई कारणा बताय । महीने

की नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

वह नियमिक्त आदेश तभी मान्य होगा, जब श्री माण्डेय गांच स्वये के जन्यायिक मुद्धांक पर निधारित मृष्य पर अनुबंध हस्ताक्षर करके प्रमाणित कहेंगे अन्यों समिति के स्हिता को शतों को बाधित करता हो।

भी पाण्डेव महाविद्यालय के सभी निक्षमों एवं विनिक्षमों से राम लित होंगे, जो महाविद्यालय के कर्मवारियों की अवकारा सेवा की रातों, चाल-वलन एवं अनुरासन के संबंध में उभाव डालता हो। यह निक्षित आदेशा माण्य उच्चे रिक्षा अनुदान आयोग हारा अनुमोदन होने पर मान्य होगी।

> वानार्थं वर्षं वर्षंत्रः म्याप्यं तीर्वाव हुषु विद्यार्थे सीत्रिक्षंत्रः हु

्ष्रव्यक्त कृतां करीं - रहे थां 0 /87 जिलासपुर दितां के उनवस्तर ,87 रितिलिप = र्

भी रामाधार मुलाद गण्डेय, विता भी का लिका मुसाद गुडेब हारा एत० गी० रामा - 34 ए विद्यास्त्र नगर किलासमुर १ म० म० १ को सूचनार्थ एवं बावर सक का स्वाही हेतु अग्रेषित। कृत्या बाम अपने मद का कार्यभार सात दिवस के भीतर अनिवार्थ स्त्री है

> श्री क्षांकार्य । राज्याकार्य । विमानपुर [चतामन्

मृत्यूचे यूचे शास्त्र परामीचे शास्त्र वारितः प्रांताः त्यम ग्रहाम्याम

प्रविद्यालाको स्थापना । स्यापना । स्थापना । स्यापना । स्थापना । स

2.1

3.

## कार्यालय प्राचार्य

## द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री <u>रूपनारायण यादव</u>को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में <u>भूगोल</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विवत्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तो

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रवाद्भाव सचिव होत्यो प्रश्नेपुरमहत्तमितिनय विने प्रिपृ हिष् छस्तासिन्ध्रोत्रय विलोसपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 3<u>12-</u>/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि:

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भूगोल, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी. लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) वेश्वयद्भम् समित्रिः नयः ।पी.प्रिप्पृ मुस्सित्तिमस्तृयं बिलीसपुर (छ.ग.)

SILZERY CHITI GOVT. OF INDIA

RICOMETANDERATMENT GO

6

कार्यालय प्राचार्य

## द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. एम.एल. जायसवाल को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में <u>वनस्पतिशास्त्र</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

0/0/6/6/93

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रकार्ष्ट्रप्रसंसिव हो०पी अभारमहस्मितिलय ब्लिसिए चिम्चोसिकानेय बिलासपर (छ.ग.)

0/0

पृष्ठांकन क्र. ॐ-/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि :

दिनांक 16/06/2003


- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

0/0/16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सुचिव प्राचार मामित

ही पी विश्व महीविद्याली विनासपुर (छ.ग.)



88 - 2

Kit The Mark State



### कार्यालय प्राचार्य

### द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. विवेक अंबलकर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्विवतीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विवतीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

0/10/16/16/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव इसासमा समिति शेक्षरिमा स्विप्तान्य विकास समिति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति


पृष्ठांकन क्र. १०९८ - /स्थापना / 2003-04 प्रतिलिपि :

दिनांक 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (६) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

्रक्टॉ / − (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)





If this cart is has a commone's lost eard if found, plane, plane, then to the most of the NSDL.

Lecons Tax Pays services that NSDL.

Lecons Tax Pays services that NSDL.

Next, Barner's explored Exthange.

Nated, Parge: 411.045.

Tel: 91.90-2771 8081 e-mail. from following that the following the following that the following the

4

### कार्यालय प्राचार्य

## ब्रारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. तरू तिवारी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक मार का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव

पृष्ठांकन क्र. 🛂 - /स्थापना / 2003-04 प्रतिलिपि:

दिनांक 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इतिहास, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर श्क्ल) प्रसार्यक्रियं विव डी०पी अभारानहस्सिकीलय न्मि सिव्सिप् छत्ता सिच्यानेय बिलासपुर (छ.ग.)

Mi-Nh Dald)

MENDY'S ENERHING

to dead 227

### कार्यालय प्राचार्य

## द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/|2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक 18/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. <u>सुषमा चतुर्वेदी</u> को डी.पी. विष्र महाविद्यालय में <u>समाजशास्त्र</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

وران

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राच<u>्य छां स</u>्चिव <sub>हीठपी</sub>शिस्त्र-स्मृमिक्च ज्वय हीजीत्रिम् (म्ह्सित्साङ्ग) विलोसपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र.<sup>(</sup>८९–/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

### प्रतिलिपि :

(1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

(3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. निप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

(5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्र<u>चार्य प्र</u>चेत्र हो०गी अभारम<sub>ह</sub>र्गाम्ब्री<sub>नय</sub> भ्रमीप्रिन्य अस्त्रिम्हिन्य बिलासपुर (छ.ग.)



58 goons



क्र.---/स्थापना/|2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री खगेन्द्र कुमार सोनी को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तो के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा। (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं स्चिव

पृष्ठांकन क्र. 23 स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि :

दिनांक | 16/06/2003



- कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोद्य, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, -----का िण-ङ्ग्------ को सूचनार्थ। (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

010



INCOME TAX DEPARTMENT
KHAGENDRA KUMAR SONI
NANKI RAM SONI
14/04/1966
Permanent Ascount Number
DSXPS7110D
SERVE





B

# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/|2003-04

दिनांक | 16/06/2003

## नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन सिमिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुनीता थादव को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में <u>राजनीतिशास्त</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुवंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

0/01/6/16/9)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एकं सचिव शुश्सम्बन्धिकियानय डी. प्रीस्विम मुक्कियाको विलासपुर (छ.ग.)

0/0

पृष्ठांकन क्र. 33-1/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

#### प्रतिलिपि :

(1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

(3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

(5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

01616103

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्यस्यक्रमधिव क्रिक्रीप्रसिम्नसिर्हित्वं स्वयं डीक्रीक्रियुरमृच्चियेतस्य बिलासपुर (छ.ग.) ्र इंसकार्ड के खोने / पाने पर कृषया सुवित करें / लौटाएं : जाडकरचैन सेवा इकाई एन एस डी एस तीसरी मजील, सफावरचेंदर्स, बानेर टेलिफीन एक्स्चेज के नजदीक, बानेर, पुना—411045

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

SUNITA YADAV

KALICHARAN YADAV

20/07/1967

Permanent Account Number

AGIPY3409P

भारत सरकार GOVT. OF INDIA





06/02/19

:

# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क.----/स्थापना/2003-04

दिनांक। 16/06/2003

#### नियक्ति आदेश

िरविवद्यालय कालेज को इ. 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए<mark>श्री ए. श्रीराम</mark> को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में वाणि<del>ज्य</del> विषय में महायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भना पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विवतीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्ती के अपीन होंगी।

- यह कि आपकी नियक्ति पूर्णत: अस्थार्था है जो कि किसी भी पहा द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अबवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर सभाग की जा मकेंगी।
- (2) यह कि अवकारा एवं अन्य मुविधाएँ महाविधालय के नियमानुमार देय होगा।
- कार्यभार ग्रहण बरने के उपरांत कालेज कीड 28 के तहत निर्धारित ग्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियक्ति आदेश आगे दिनोक में एक ग्रमाह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) **गुज़ार्य म**िवव रं वर्षाः। प्रशासन् समितिव । बन्ती और मिश्र सहाविद्यालय बिलासपर (छ.ग.)


पुष्टांबन क 💥 🗓 /स्थापना / २००३-०४

दिनांक | 16/06/2003

- कुल महिल, पुर वामीदाम विस्तिविद्यालय, विलामपुर (छ.ग.)
- (2) संवालक, उच्च शिक्षा संवालनालय, उत्तीमगढ़ शासन, रायपुर (छ.प.)
- (३) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.प.)
- (4) विभागाच्यक्ष, -----कार िकाउ चा------ को मृतनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं मुरेश उपाध्याय, गेकांड्रया को प्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रियत।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)

(१) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

व्यर्ध /— (डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं मचिव प्रशासन मार्मित डी.पी.विष्य महाविद्यालयं



# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र .---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/08/2003

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को ड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री जयन्त राय को डी.पी.विद्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्वयित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव

पृष्ठांकन क्र. े स्थापना / 2003-04 प्रतिलिपि:

दिनांक 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ---- প্রাৰ- ভিগ-ক্রম্ব----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रसार्व मिने मिने

गे०वी अवप्रसाह मिस्तिनय विमी स्वी विमुख्यानियान्य

आयकर विभाग INCOME TAX DEPARTMENT

JAYANTA ROY

KHAGENDRA NATH ROY

16/06/1970

Permanent Account Number ASYPR0364E

Signature

भारत सरकार GOVT OF INDIA





# (3) 's

#### कार्यालय प्राचार्य

## द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को ड 28 के अंतर्गत गठित चयन सिमित की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री | मनीष तिवारी को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

مراه

olc.

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रकार्क्तरत्वंसचिव शेश्नी अस्तरकहाँ स्वितिषय विद्यासिक विष्यासिक मोलय बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. नि-/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि : दिनांक 16/06/2003

(1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

(3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

(4) विभागाध्यक्ष, रक्षायनराख, जानाज्य गर्वायक्षा, रक्षायनराख, जानाज्य गर्वायक्ष, रक्षायनराख, जानाज्य गराव्यक्ष, रक्षायनराख, जानाज्य गराव्यक्ष, रक्षायनराख, जानाज्य गराव्यक्ष, रक्षायनराख, जानाज्यक्ष, जानाज्यक

(6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शक्ल

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव जूसास्य सीमिति होव्ही भौनिष्ठप्रसहीत्मज्ञास्य विना सिक्तां स्ट्रिल (स्ट्रान्ड)

# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती <u>रेणु नायर</u> को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में <u>रसायनशास्त्र</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रामुर्द्ग पुत्रं मुचिव हो<sub>्नी</sub> प्रशासन समिति <sub>लय</sub> हो, पी वित्र मुहाविद्यालय

ofc

पृष्ठांकन क्र. ि-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि: (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

(3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(3) अध्यक्ष महादय, प्रशासन सामात, डा.ना. निर्धासनारा, जिल्लासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ। (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।


(4) विभागाध्यक्ष, रतायनसाज, जा का अविकास क्षेत्र अविकास के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(६) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन सेमित हो जी पान वर्ष सहाविधान विवास सम्बद्धान



# कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/|2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती <u>ऊर्जा रंजन सिन्हा</u> को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में <u>अंग्रेजी साहित्य</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्राचीर समित

प्राचार्य एवं सचिव इतिप्राचार्य समिति इतिप्राचन समिति होत्पा निष्ठ महाविद्यालय विलोसपुर (छ.ग.)

0/0

पृष्ठांकन क्र. २५५ <sup>०</sup>/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि :

दिनांक 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सुचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

مساه

(डॉ. उमाशंकर शुंक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समितिना डोडी पे विष्र महाविद्यागय

# Dr. Obrja Ranjan Sinha

#### Aadhar Rard.



भारत सरकार Government of India



ऊर्जा रंजन सिन्हा Oorja Ranjan Sinha जन्म तिथि। DOB: 22/10/1971 महिला / Female



3431 7363 4811

आधार - आमं आदमी का अधिकार

cesinda



शारतीय विकित पहराज आधिकरण Unique Identification Authority of India

पताः संबोधितः रवि रंजन सिन्हा, ओपोपी.ओम रॉयाल्स, बी/8 , फेस 02 आर.के. नगर बिलासपुर, बिलासपुर(न.कि.), बिलासपुर, बिलासपुर, छन्तीसगढ़, 495001

Opsiula

3431 7363 4811

M

# कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को ड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री आशीष शर्मा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्विवतीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विवत्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

0/0

बिलासपुर (छ.ग.)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राच<u>र्या</u> प्रविवव बीक्षशस्त्र नहिम्बि । नय धिन्नीसिक्स <u>फिसिसा</u> हुग्

0/0

पृष्ठांकन क्र. २६६६ /स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं मुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेत् ।

2/10-0

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राच्यां प्रवासिक हो व्यास्त्रा स्मिनिक्षा नव द्यानी स्वास्त्रा स्वास्त्रा वृत्र् आयकर विभाग INCOME TAX DEPARTMENT

ASHISH SHARMA

PRABHAKAR SHARMA

01/09/1969 Permanent Account Number

DKSPS1864P

भारत सरकार GOVT. OF INDIA



# ब्रारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना//2003-04

दिनांक | 16/06/2003

#### नियुक्ति आदेश

विश्वितद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन सिमिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. एम.एस.तम्बोली को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्विवतीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विवतीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रात्मपंद्धतंन्यचिव हो०पीऽर्धम्नन्तस्मितिग्नय डिनिप्सिक्यम् स्टावियान्येयं विलोसपुर (छ.ग.)

0/0

पृष्ठांकन क्र. र्स्ट्र/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003



- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


0/10/6/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्या एवं संचिव शोर्वप्रक्रीस्त्रनम्म्स्मिति च्य ध्रीताधिषुप्र मिश्राविधीरोते बिलासपुर (छ.ग.)

28-14



ANEPT 2677D



#### 21

#### कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को ड 28 के अंतर्गत गठित चयन सिमित की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. स्नेहलता द्विवेदी को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में <u>गणित</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देव होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

0/10/16/03

प्रसम्बन्धार्मित क्रीभी क्रिम मसाधिकालियी । बसिलामुपुर्स एकं मानुन )

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव

पृष्ठांकन क्र. ॐि/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003


- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.प.)

0/0

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

1616103

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचिम्पण्कंस्तिव ही०प्रेशसिन स्पितियः नम डी-पो:विंग्रं श्रिविद्यालये विलासपुर (छ.ग.)



### कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को ह 28 के अंतर्गत गठित चयन सिमिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. शुभ्रजा पाण्डेय को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में <u>माइक्रोबायोलॉजी</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्विवत्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विवत्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अभीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यष्ठ कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

olc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रशासिन समिति हो भी विषय महाविद्यालय विकासित्र (सुन्)

पृष्ठांकन क्र. डि. /स्थापना / 2003-04 प्रतिलिपि :

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, माहकोबायोलॉजी, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, ही.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

ملاه

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रासार्ग पुतं सचिव क्षेत्रगप्रशासन समिति स्मा ही पी निप्र[मुझिस्साल्य विलासपुर (छ.ग.)



Sufox 102/2021

## द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक <u>03 / 09 /2</u>003


#### नियुक्ति आदेश

श्री/ब	हु, श्रीति चंदेल को <u>को</u>	सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद	
पर वेत	नमान 2200-4000	एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर	
अस्था	यी रूप से सामान्य/अनुसूचित जीति	ा/अनुसूचित जनजाति/पिछुङ्ग वर्गे के रिक्त पद के विरूद्ध/पद पर कार्यभाग	
		ता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला	
व्यय स	स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा।	आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन	
होंगी।			
(1)	यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अ	स्थायीं है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके	
	स्थान पर एक माह का वेतन देकर	समाप्त किया जा सकता है।	
(2)	यह कि अवकाश एवं अन्य सुविध	एँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।	
(3)	사이트로 하게 되었다. 이 사이트로 보고 있는데 이 사이트로 보고 있다. 이 사이트로 이 사이트로 보고 있는데 이 사이트로 이 사이트로 보고 있다. 이 사이트로 보고 있는데 이 사이트로 보고 있는데 사이트로 보고 있는데 보고 있는데 이 사이트로 보고 있는데 이 사이트로 보고 있는데 아니트로 보고 있는데 이 사이트로 보고 있는데 아니트로 보고 있는데 아		
(4)			
(5)	नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एव	ह सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।	
		2181-	
		(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)	
	0- A+. 7.9	प्राचार्य एवं सचिव	
4.3	7 to 442 pt.3.9	प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय	
		बिलासपुर (छ.ग.)	
	• 1.1		
पृष्ठांक	हन क्र.  /स्थापना/2003-0	4 दिनांक <u> </u>	
प्रतिवि	लेपि :	.*	
(1)	कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्व	विद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)	
(2)	संचालक, उच्च शिक्षा संचालनात	नय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)	
(3)		डी.पी. विष्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)	
(4)		सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित	
(5)	कार्यालयीन नस्ती हेतु ।	o lulo	

914 Shill 319103 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय विलासपुर (छ.ग.)



ञ्जायकर विभाग INCOMETAX DEPARTMENT " SHRITI SOMVANSHI HARI SINGH CHANDEL





02/08/1973
Permanent Account Number
EUEPS6495H



)。 **3 3 1** 

To Anfra Athrash Shrill Somvanshi WIO: Ravi Singh WIO: Ravi Singh 14 14 Dr. sahgal gali veen kunj 17 vinoba nagar 19 Bilaspur Bilaspur Bilaspur Bilaspur Bilaspur Bilaspur Bilaspur ML547085807FT



भारत सरकार

Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/97619/00581

## कार्यालय प्राचार्य रेका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र .---- /स्थापना / 2003-04

विनांक --- 16 - 6 - 03 ----

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को इ 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते दिदिन---को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में ---- विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान יוג אוזפר - רונית יפי एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्विवित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विवित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविधालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन वेकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार प्रष्ठण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियक्ति आदेश जारी विनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रशासिमयेष्

पृष्ठांकन क्र. 2-0 /स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि :

दिनांक 16 6 03

- कुल प्रचिय, गुरू धासीवास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

- ग्रंथपाल, ही,पी. यित्र महाविधालय, बिलासेपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव बिलासपुर (छ.ग.)

Depth in chairly

# कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

<sub>इ.---</sub>/स्थापना/2003-04

# नियुक्ति आदेश

दिनांक 17/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री निधीष चौबे को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में इलेक्ट्रानिक्स विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तो के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्रतिलिपि:

दिनांक 17/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर श्क्ल)

# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.<sup>518</sup>-/स्थापना/|2003-04

दिनांक --- 23 - 6 - 2003

# नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. / श्री/कु. / श्रीमती --- र ६ इस व्याम -----को डी. पी. विप्र महाविद्यालय में ----- विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचित्र प्रशासन अभिज्ञे.P.G College डी.पी.विप्र महासिद्धानुस्य (C. G.) बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक -- 23-6-2023



पृष्ठांकन क्र. 🛂 - /स्थापना / 2003-04 प्रतिलिपि:

(1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

(3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

िविभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।

श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)

कार्यालयीन नस्ती हेतु। (7)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिवPrincipal प्रशासन समितिV.P.G. College डी.पी.विप्र महाविधीत्स्य (C. G.) बिलासपुर (छ.ग.)



आयकर विमाग-INCOME TAX DEPARTMENT

RASHMI SHARMA

GAJANAN SHARMA

21/06/1965

Permanent Account Number

DKEPS6821J

-रिशेष व्यामि

Signature



भारत सरकार GOVT. OF INDIA






इ.स.कार्डके खोने / जानेपर कृष्या सुधित करें / बीटाएं आयकर पेन सेवा इकार्ड, एन एस टी एल तीसरी पंजील सफायर बंबर्स बानेर टेजिफोन एक्स्बेज के नजदीक बानेर, पुना – 411 645

His card is lost / someone's last card is found please inform / return to income Tax PAN Services Unit, NSDL fix Floor, Sapphire Chambers, Near, Baner, Telephone Exchange, Baner, Pune 411 045

Tel: 91:20-2777-3080, Fix. 98.76-2721 8081 e-mail: trusto mustice jink.



28-20



0,000

# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते आभा दुबे को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विवत्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह िक आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन सिमित का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव जूरासिन समिति डोव्हीबन्धिन महाविद्यालय बिनम्बद्धारिएर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. नि./स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### प्रतिलिपि:

(1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

(3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ। (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्क्त एकं गर्कीव ही०महास्वत्र समितिद्यानय डी मी निम्म मुखसिं झालम् बिलासपुर (छ.ग.)

(28)(21)



# रिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/08/2003

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को इ 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री <u>आश्तोष पाण्डेय</u> को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में <u>गणित</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव

पृष्ठांकन क्र. (02/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि:

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्रं महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रा**क्ष्मं आयो**चिव डीवपीपस्बन्नसहामित्रि भव वित्रपी विप्र एसाबिधक्रोय बिलासपुर (छ.ग.)



# शिरेका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/|2003-04

दिनांक 16/06/2003

## नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. <u>रजनी कुज्र</u> को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में <u>समाजशास्त्र</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) हो त्वी अश्रीपत्ता समितिनय । जी ती विम्हासीसान्य

प्रष्ठांकन क्र.413-/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि:

दिनांक 16/06/2003

- कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) (2)
- अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (3)
- विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ। (4)
- श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (5)
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- कार्यालयीन नस्ती हेतु। (7)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रा**चर्मा स्त्रां स**चिव डी ०पीस्त्रीस्थनमञ्जूतिका स्य छीली हिम्स महत्त्विकाराम बिलासपुर (छ.ग.)

आसकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT RAJNI KUJUR



भौरत संस्कार GOVI: OF INDIA

STANISLAS KUJUR

11/11/1973 Permanent Account Number Brupk 532 (J.)



Signature

#### द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र .---- /स्थापना / 2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### नियक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती शिखा पहारे को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तो के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रजासमासमिति हो ही एपे विश्वपमहर्श विद्यां स्थि विलिखासिक्रिक्सिग्र)

ृष्ठांकन क्र. ५०-/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि:

दिनांक | 16/06/2003

- कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (1)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदयं, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाष्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विष्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) थ्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (6) ग्रंथपालं, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतुंग

16/6/03 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं स्चिव



# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क. <u>5</u>42/स्थापना/2003-04

दिनांक - 23.6-202

# नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते जिक्क का डी.पी.विष्र महाविद्यालय में ---- विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ता dipal प्राचार्य एवंग्राहिल,P.G. College प्रशासन समितिक spur (C. G.) डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक - 23-6-2002

पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि:

(1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


----- को सूचनार्थ।

(5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालयीन नस्ती हेतु। (7)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति राज्यांका डी.पी.विप्र महितियालयः (C. G.) बिलासपुर (हे.गे.)







# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. <u>- ५</u> ३/स्थापना/2003-04

दिनांक 20 / 09 /2003

ग्रहण व व्यय स्ट होंगी।	हिए से सामान्य अनुसूचित जार्ति /अनुसूचित जनजाति /पि्रुइड्रा वर्ग के रिक्त पद के विरूद्ध /पद पर कार्यभार हो के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला वित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन
व्यय स्व होंगी।	वित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन
	그리 이 그 집에 어느 그 사람들은 현대에 가는 그 사이를 가는 그 그들은 사람들이 모양이 되었다.
	ह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
(2)	ह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
(3)	ार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
(4)	ह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
(5) f	युक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
nv	(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) 3 70 447 क्मी- २०/१/०3 प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति

डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

447 पृष्ठांकन क्र. |---/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि :


दिनांक 20 / 09/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(5) कार्यालयीन नस्ती हेत्।

2019103 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)





# डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email-dpvipracollege@gmail.com.

क. / OL / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनॉक 05.10.2017

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन सिमित की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री विश्वास विकटर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600—39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. 87 / Acod. / 2016 दिनॉक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के विनॉक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

 यह िक आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो िक किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।

02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।

03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरांत कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।

04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।

05. नियुक्ति आदेश जारी दिनॉक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन् सुनिति प्राचार्य डी.पी.विप्र महित्ती प्राचार्य डी.पी.विप्र महित्तीसपुर (छ.ग.) बिलासपुर (छ.ग.) बिलासपुर दिनॉक 05.10.2017

पृ.क. / **02** / स्था. / 2017 प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।

04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

७५. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

07. कार्यालयीन नस्ती हेत्।

Reviewed

प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) प्रभार प्राचार्य डी. पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)





06/02/19

# डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रवत्त

wie et. 07762-424407 . Bmail-dovipracollege@umuil.com.

क. / 03 / स्था. / 2017

बिलारापुर विनीक 07.10.2017

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन संगिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए सुश्री ऋचा हाण्डा को छी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600—39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क. 87/Acod./2016 विनॉक 17.03.2016 के आधार पर अरथायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनॉक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्त महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अख्यायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक गांह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।

02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।

03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरांत कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।

04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।

05. नियुक्ति आदेश जारी दिनोंक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन स**धिकीते प्राचार्य** डी.पी.विप्र **म्हानिस्तिल सुराविधालय** विलासपुर (<mark>डि.क्मू-पुर (छ.ग.)</mark> विलासपुर दिनोंक 07.10.2017

पृ.क. / ८५ / स्था. / २०१७ प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।

04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय विलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

07. कार्यालयीन नस्ती हेत्।

प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय विद्वारा प्राचीति डी. पी. विप्र महाविद्यालय वितासपुर (ए.ग.)







# डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email-dpvipracollege@gmail.com-

क./ ५४० / स्था./2017

बिलासपुर दिनॉक 21,09,2017

recognition line

#### नियुवित आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गृहित चयन समिति की अनुशसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुरूचि मिश्रा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600—39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित महगाई भत्ता पर, अरथायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनोंक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अंधीन होगी।

- 01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अख्यायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके ख्यान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- 02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के तिरामानुसार देय होगा।
- 03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- 04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा
- 05. नियुक्ति आदेश जारी दिनॉक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचित प्रशासका स्वीतिकार्य प्रशासका स्वीतिकार्य डी.पी.विप्र महीविकार्य विलासपुर (छ.ग) विलासपुर (देनॉक 21,09,2017

पृ.क. / U 🔰 / स्था. / 2017 प्रतिलिपि :-

01: कुल सचिव: बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

02. संचालक, उच्चे शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।

04. विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) प्रभागे प्राचार्य डी. पी. विप्र महाविद्याला बिलासपुर (छ.ग.)



# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. दुर्गाशरण चंद्रा को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं प्रचिव

पृष्ठांकन क्र. १८%-/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि:

दिनांक 16/06/2003

- कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचा कां सचिव डी०प्रे**अ**म्मप्रनास्मिकानय विलासपुर (छ.ग.)

अगयकः

सरकार -OVT. OF INDIA



स्थारी पंखा सह्या कर्ड

Parmaneni Account Number Card

AGKPC4131C

TA Name

DURGASHARAN CHANDRA

चित्र का नाम / Father's Name

जन्म की नारीख / Date of Blith 23/10/1966

हस्ताक्षर / Signature



# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक - 16 - 60 2103.

## नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन सिमिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री सुबीर सेन को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में <u>वाणिज्य</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

्रम्हे (डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र.<sup>252</sup>िस्थापना/2003-04

दिनांक - 16-6-2003

#### प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----को ि द्भ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

0/00

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राच्यां सनं संचिव डो॰पेप्रभारतन्त्रस्मितिः लय डीनसिक्ष्य [मस्सन्धिकाकोप विलासपुर (छ.ग.)





# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

### (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय. पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो. श्रीमति किरण दुबे उम्र 46 वर्ष, पति श्री दीपक प्रसाद दुबे निवासी- कतियापारा जूना बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001 आधार नं.-951056877942

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो .के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर श्रीमति किरण दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 17768 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार लोकप्रशासन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

1. (D.Shape (John of Giniz Almi)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर प्राचार्य डी:पी:विप्र:महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORM SIGNED / THUMP MPRESSION वेरे सम्बा इस कर पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़पाकर क्षान्तपूर्वक कथन आज कहा भार इस दस्तावेज पर इस्तासर/अमुठा किया अरुण सिंह नोटरी

0 1 JUL 2021

बिलासपुर (छ.ग.)

नोटरी बिलासपुर (छ.ग.) 1 JUL 2021



## अध्यापन कार्य हेत् अनुबंध पत्र

# (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- प्रो.- प्रदीप कुमार जायसवाल उम्र 31 वर्ष. पिता श्री मोहित राम जायसवाल निवासी- 102 जेम्स अपार्टमेंट जरहाभाठा बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001 आधार नं.-245191173107

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लियं संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर प्रदीप कुमार जायसवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेत् नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह:-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर प्राचार्य

.....डी:पी:विप्र:महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



NLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMB IMPRESSION मेरे समक्ष इस दहः " पर संबंधित न्यक्ति ने पड़कर/पड़वाकर श्रयंशूर्वक कथन आण कहा और इस बस्तावेज पर इस्ताबर अनूठा किया

मरुण सिंह नोटरी विलासपुर (छ.ग.)

0 T JUL 2021

लासपुर (छ.म.)



10 1 JUL 2021

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- प्रो. रीना तामकार उम्र 31 वर्ष, पिता श्री धनेश ताम्रकार निवासी- काली दुर्गा मंदिर के पास, जवाली पुल के पास बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001 आधार नं.- 233684831884

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर रीना ताम्रकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेत् नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की स्विधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भूगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डंर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



NLY AFFIRMED OR SWORN SIGNED I THUMB IMPRESSION मेरे समझ इस काल ा पर संबंधित व्यक्ति ने पहेकर/पहेबाकर अन्यपूर्वक कवन आण कहा

बिलासंपुर (छ.ग.)

0 1 JUL 2021

बिलासपुर (छ ग ) 10 T JUL 2020



# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

#### (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय. पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- प्रो.- यूपेश कुमार उम्र 28 वर्ष, पिता श्री रामकुमार निवासी-म नं 5 वार्ड नं 1 भरेवापारा कवर्धा (छ.ग.) पिन-491559 आधार नं.- 895795017218

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर यूपेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार इतिहास विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



OLEMNLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED I THUMB IMPRESSION मेरे सम्बा ६स दस्तावेल पर संबंधित व्यक्ति ने पक्कर/पक्षाकर अपथपूर्वक कवन आज कहा और इस बस्तावेज पर इस्ताधर/अगूठा किया

> क्ण सिंह नोटरी बिलासपुर (छ.ग.)

0 1 JUL 2020





# अध्यापन कार्य हेत् अनुबंध पत्र

### (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय. पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो. - मयंक कुमार चन्द्रा उम्र 25वर्ष, पिता श्री तुलसीदास चन्द्रा निवासी-धनौरा पो परासी धनौरा बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495118

आधार नं.- 816568687652

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर मयंक कुमार चन्द्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.06.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढकर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-1 S. R. Chambagranshi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार क




SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED BIGNED / THUMF MPRESSION मेरे समझ इस दः 💛 पर संबंधित व्यक्ति ने पड़कर/पड़वाकर ४:५५५वक कवन आण कक्ष और इस वस्तावेज पर इस्ताक्षर/अगुठा किया

> अरुण सिंह नोटरी विलासपुर (छ.ग.)

2 3 JUN 2019





CLLED

प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार – प्रो.– विक्की जायसवाल उम्र 23 वर्ष, पिता श्री क्रिक्ने क

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर विक्की जायसवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 08.11.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान–बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना–अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर कांम आवें।



प्रथम पक्षकार का हस्तीक्षर प्राचार्य डी.पी.विष्र.महाविद्यालय वितासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMALY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समझ इस दस्तानित पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अपथूर्वक कथन आज कहा
और इस बस्तावेन पर इस्ताबर/अगुठा किया

अरुण सिंह नोटरी, बिलासपुर (छ " ) 0 8 NOV 2021 अरुण सिंह नोटरी निसासपुर (छ.ग.)



# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

# (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो. - बृजेश कुमार उम्र 28वर्ष,
 पिता श्री जोहन प्रसाद

निवासी— वार्ड नं 4 लीला मंडली चौक भिलौनी जांजगीर चांपा (छ.ग.) पिन—495554 आधार नं.— 649015047066

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य नेम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :—

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर बृजेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निप्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतृष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 09.06.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपूर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढकर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



LY AFFIRMED OR SWORN IGNED I THUMB IMPRESSION नेरे समा इस का । पर संबंधित न्यनित ने पढंकर/पढ़वाकर वायवपूर्वक कथन आण हता और इस दस्तावेज पर इस्ताक्षर/अगुठा 🔭 🖰

> नोटरी बिलासपुर (छ.ग.)

10 9 JUN 2021





# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो. - ईश्वर प्रसाद सूर्यवंशी उम्र 31 वर्ष, पिता श्री जीत राम सूर्यवंशी

> निवासी- वार्ड नं 18 शारदा मंगलम डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड जांजगीर चांपा (छ.ग.) पिन-495668 आधार नं.- 426897205738

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर ईश्वर प्रसाद सूर्यवंशी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादितं करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भ्गतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 19.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के खेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह:- In-1 S.R. chambovanshi


2. Dr. Abha Tiwari

(2602 Goco)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलास्पुर (छ.न.)

द्वितीय पक्षकार कां हस्ताक्षर






SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
वेरे समझ इस दालकेन पर संबंधित व्यदित ने
प्रकर/पढ़वाकर अपथपूर्वक क्यन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्तासर/अगुठा किया


अस्तिमारिहेंह ' नोटेरी) जिलासमुद्र (छ.ग.))

T 9 JUI 2021





# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र (Contract for Teaching)



पथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- अनुपमा पाण्डेय उम्र 26 वर्ष, पिता श्री उमाशंकर पाण्डेय निवासी- हाउस नं 36 बिलासा गुडी पुलिस लाइन बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001 आधार नं.- 593770494706

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर अनुपमा पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भूगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में विना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :- 🏠

1 S. R. Chamizanamshi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य हीं.पीं.विप्र.महाविद्यालर बिलासपुर (छ.न.)

द्वितीय पक्षकार, का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMB IMPRESSION नेरे समझ इस दस्त ें। पर संबंधित व्यक्ति ने पड़कर/पड़वाकर अपवपूर्वक कथन आण करा और इस बस्तावेज पर इस्ताबर/अगुठा किया

अरुण सिंह नोटरी बिलासपुर (छ.ग.)

11 4 JUL 2021

मार्थित (क.ग.) अस्मा सिंह भारती, भारती,



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- प्रो.— वर्षा सिंह उम्र 26 वर्ष, पिता श्री हीरेन्द्र कुमार सिंह निवासी— एम.क्यू 13 वार्ड नं 13 दीपका कोरबा (छ.ग.) पिन—495452

आधार नं.- 983270833869

जपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर वर्षा सिंह को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
  - यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED IGNED / THUMP IMPRESSION पर संबंधित व्यक्ति ने पड़कर/पड़वाकर राज्यपूर्वक कथन आज कस और इस वस्तावेज पर इस्ताबार/अगूठा किया

> प्ररूप सिंह नोटरी बिलासपुर (१००)

1 4 JUL 2021





# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

# (Contract for Teaching)



प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
 पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
 जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- प्रो.- अंजली सोना उम्र 27 वर्ष,

पिता श्री गुरूबारू सोना

निवासी-हाउस नं 1227/4 रेल्वे कालोनी बंगलायार्ड

बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001

आधार नं.- 428857985712

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर अंजली सोना को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



 यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।

यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 07.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह:- m 1 S.R. Chandravanshi

2. (Dr. M.S. techr)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर प्राचार्य .....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर




SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUME IMPRESSION

गेरे समझ इस पर संबंधित व्यक्ति ने
पड़कर/पड़वाकर सम्बद्धिक कथन आज कहा
और इस दस्तावेद्ध पर डस्ताबर/अगुठा किया


अरुण सिंह


नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)


0 7 OCT 2021











जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.-नीलम सिंह सिंघेल उम्र 26 वर्ष, पिता श्री चंदन सिंह सिंघेल निवासी-टिकरापारा बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001 आधार नं - 653335848783

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर अंजली सोना को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेत् नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :- Im 1 S. R. Chambovangh

2. Dout Cul.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविक्यासम् बिलास्ययः स्टब्स

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMP IMPRESSION
नेरे समझ इस ः पर संबंधित व्यक्ति ने
पक्कर/पक्दाकर संव्यपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज, पर इस्ताक्षर/अगूठा किया

अरुण सिंह नोटरी बिलासपुर (छ.ग.)

2 0 OCT 2021





## अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार – प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो.—पूजा दुबे उम्र 24 वर्ष,

पिता श्री सुरेन्द्र नाथ दुबे

निवासी—वार्ड नं 20 छोटी कोनी बिलासपुर (छ.ग.)

पिन—495009

आधार नं.— 226324004700

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर पूजा दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :- hr.
1 S.R. Chandrowanshi

2. Dr. Abha Tiwwi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचाय डी:पी:विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.स.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMP MAPRESSION

मेरे साला इस पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाता. .ंक कथन आण कहा
और इस दस्तावेज पर इस्ताक्षर/अगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छन्न

अरुण सिंह लासपुर (छ.ग.)

1 9 JUL 2021

प्रथम पक्षकार

TEN RUPEES

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

पाचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय प्राना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

प्रो.-रूपेन्द्र कुमार शर्मा उम्र 35 वर्ष, द्वितीय पक्षकार पिता श्री कृष्ण कुमार शर्मा

निवासी-मकान नं 333नहरपारा भदौरा वार्ड नं 18 बहादुर बिलासपुर जैरामनगर (छ.ग.) पिन-495550

आधार नं - 454083213051

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर रूपेन्द्र कुमार शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेत् नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार राजनीति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 19.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-1 S. R. Chambrowomski

2 Brigosh Kumar

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर प्राचार्य ....डी:पी:विप्र:महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर DShapen



**SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN** EFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMB IMPRESSION नेरे समक्ष इस पर पर संबंधित व्यक्ति ने पहंकर/पद्वादा अपवर्धक कवन आज कहा और इस बस्तावेज पर इस्ताक्षर/अगुठा किया बिलासपुर (छ.ग.)

1 9 JUL 2021

लासपुर (छ.ग.) 11 3 JUN 2021



## अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- प्रो.-शिशिर शुक्ला उम्र 32 वर्ष, पिता श्री चन्द्र शेखर शुक्ला निवासी- वार्ड नं 46 शास्त्री नगर सरकण्डा बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001 आधार नं.- 825478178987

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर शिशिर शुक्ला को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदानं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार बी.बी.ए. विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.06.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग )

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर




BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMB IMPRESSION मेरे समझ इस कल*ें ।* पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/यद्वाकर अयनपूर्वक कथन आज कहा और इस दस्तावेज पर इस्ताकर/अपूरः निया

> अरुण सिंह नोटरी विलासपुर (छ.ग.)

11 3 JUN 2021

अरुण सिंह नोटरी मिलासपुर (छ.ग.)





(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार – प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो.—अंकिता शर्मा उम्र 33 वर्ष,

पिता श्री कैलाश नारायण शर्मा


निवासी— बंगालीपारा गली नं 4 सरकण्डा बिलासपुर

(छ.ग.) पिन—495001

आधार नं.— 413108028736

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :—

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर अंकिता शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार बी.बी.ए. विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

To mode

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 08.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :- 1 .....

2. Do M. s - luh.

प्रथम पक्षकार का हस्त्राक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलास्पुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समझ इस दस्तां पर संबंधित व्यक्ति ने
पड़कर/पड़वाकर अपअपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर इस्ताधर/अगूठा किया

अरुण सिंह नोटरी, बिलासपुर (छ.ग.)

0 8 OCT 2021





### अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.-रूचिता श्रीवास्तव उम्र 26 वर्ष.
पिता श्री संतोष श्रीवास्तव
निवासी- गोंडपारा बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.- 312164033920

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर रूचिता श्रीवास्तव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3 यह कि द्वितीय पक्षकार बी.बी.ए. विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गताट -

1 S.R. Chambaransh


Mittalia )

2 (In protector)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विष्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर






SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMF MPRESSION
मेरे समक्ष इस दः ार संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अपूर्धक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर इस्ताक्षर/अगुठा किया

जरुण सिंह नोटरी, बिलासपुर (छ.ग.)

2 0 OCT 2021





# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

#### (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, प्राना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो. लव राज विश्वकर्मा उम्र 34 वर्ष, पिता श्री हेमराज विश्वकर्मा निवासी- वार्ड नं 02 विंध्या विहार कालोनी मरवाही (छ.ग.) पिन-495118 आधार नं.- 759632553693

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर लव राज विश्वकर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेत् नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणी शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

TAP TO TO

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 19.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

(ज्याराम् यन्त्रवंदी)

2/2 Mrs - Will

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे सम्बा इस दस्मा पर संबंधित व्यक्ति ने
पक्कर/पढ़वाकर आव्यपूर्वक कवन जाज कहा
और इस बस्तावेज पर इस्ताबर/अगृठा किया

अरुण सिंह नोटरी, विलासपुर (छ.ग.)

11 9 JUL 2021





## अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र (Contract for Teaching)

(Contract for Teaching) प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो. दीपक कुमार कश्यप उम्र 25 वर्ष,
 पिता श्री मनीराम कश्यप निवासी— 351 घिवरा जॉजगीर
 चॉपा (छ.ग.) पिन—495661
 आधार नं.— 919930534708

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर दीपक कुमार कश्यप को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणी शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी, अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 21.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

15. R. Champsavanshi

The state of the s

2 (In this Till)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर प्राचार्य ......डी.पी.विप्र.महाविद्यालय


बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUM PRESSION
भेरे समझ इस ए र संबंधित व्यक्ति ने
पड़कर/पड़वाकर पूर्वक कथन आज कक्ष और इस दस्तावेज पर इस्तावार/अगृठा कि
अरुण सिंह
नीटरी
बिलासपुर (७००)

2 1 OCT 2021





#### अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

#### (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- मोतीलाल पाटले उम्र 36 वर्ष, पिता श्री किशून राम पाटले निवासी- 53 वार्ड नं 03 मोहनपूर पो फुलवारी मॅ्गेली (छ.ग.) पिन-495115 आधार नं - 460943555123

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर मोतीलाल पाटले को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 19.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-1 S. R. Chandrevenshi डी.पी.विप्रःमहाविद्यालय बिलासपुर (६.%)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMP IMPRESSION मेरे समम इस दर " पर संबंधित व्यक्ति ने पक्कर/पद्भवाकर धारपूर्वक कथन आज कहा भीर इस दस्तावेज पर इस्ताबर/अगुठा वि

अरुण सिंह नोटरी बिलासपुर (छ.ग.)

1 9 JUL 2021

प्रकण सिंह नोटरी क्रिलासपुर (छ.ग.) CANCELLES विसासपुर (छ.ग.) CANCELLES

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो. प्राची तिवारी उम्र 29 वर्ष,
 पिता श्री युगल किशोर तिवारी
 निवासी- कुम्हारपारा जरहाभाठा बिलासपुर
 (छ.ग.) पिन-495001
 आधार नं.- 263801728835

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर प्राची तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सिह्त प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :- hr 1 S.R. Chambravams h

2 Dr Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर


प्राचार्य -----डी:पी.विग्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUME IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दर पर संबंधित व्यक्ति ने
पक्कर/पक्वाकर श्रवपपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर इस्ताक्षर/अगूठा किया
अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

1 4 JUL 2021









प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, प्रथम पक्षकार पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

द्वितीय पक्षकार

प्रो. अजीत कस्तुरिया उम्र 27 वर्ष, पिता श्री रामझ्ल कस्त्रिया निवासी- कस्तूरबा नगर बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001 आधार नं - 409249619894

जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर अजीत कस्तूरिया को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतू नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की स्विधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भूगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 21.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

ਸਗਵ :\_

V viersia viraia

2 (Do. M. J - Carlin)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

आचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


ait



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORM
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMP MPRESSION
मेरे समझ इस का ार संबंधित व्यक्ति ने
पड़कर/पड़वाकर अपूर्वक कथन आज कहा
और इस बस्तावेज पर इस्तावर/अगूठा किया

अर्रुण सिंह नोटरी, बिलासपुर (छ.ग.)

2 1 OCT 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय. पराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

पो नीरज सोनी उम्र 27 वर्ष, पिता श्री सुभाष सोनी निवासी- एस.बी.आई. बैंक के पास जनकपूर कोरिया (छ.ग.) पिन-497778 आधार नं.- 437651217699

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर नीरज सोनी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइकोबायोलाजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर






E BY THE WITHIN NAMED पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़वाकर क्षाल्युमंक कवन आज कहा और इस दस्तावेज पर इस्ताक्षर/अनुठा किया

> नोटरी विलासपुर (छ.ग.)

1 4 JUL 2021





अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- बोलगा व्यास उम्र 33 वर्ष, पिता श्री प्रमोद कुमार व्यास निवासी- व्यापार विहार रोड संजय अपार्टमेंट बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001 आधार नं.- 610661978941

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

लिखित शर्तो के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर बोलगा व्यास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइकोबायोलाजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भूगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 06.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के खेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


गवाह :-1 S. R. Champarans

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर प्राचार्य .....डी:पी:वित्रः महाविद्यालयः बिलासपुर (छ. = )

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMP MORERSION मेरे समझ इस दा ार संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़वाकर सन्दर्भक कथन आज कक्ष और इस दस्तावेज प्रर इस्तासर/अगुठा किया अरुण सिंह नोटरी बिलासपुर (छ.ग.)





## अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपूर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार प्रो. गेंदलाल बंजारे उम्र 29 वर्ष. पिता श्री खेलावन बंजारे निवासी- वार्ड नं.05 पुटपुरा बेमेतरा (छ.ग.) पिन-491340 आधार नं.- 964951794063

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर गेंदलाल बंजारे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

(यगराम्-यन्त्रवंशी)

डी.पी.विप्रःमहाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



OLEMNLY AFFIRMED OR SWORN EFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMB IMPRESSION वेरे सम्बा इस दाल<sup>ोट</sup>ा पर संबंधित व्यक्ति ने पड़कर/पड़वाकर शपथपूर्वक कवन आज करा और इस बस्वावेज पर इस्ताबार/अगूठा किया नोटरी विलासपुर (छ्न )



M 4 JUL 2021



## अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

#### (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- गुरूदेव कुमार उम्र 26 वर्ष,

पिता श्री राजू केंवट

निवासी- मं नं.468 दुर्गा चौक सकराली जॉजगीर चॉपा
(छ.ग.) पिन-495688
आधार नं.- 829054926741

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर गुरुदेव कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

Cont. Of the

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :- 掩

1 .....


Carl .

2. gr. pl-5 lehi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य () डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर






SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMR IMPRESSION
मेरे सम्बा इस दरम्मा पर संबंधित व्यक्ति ने
पक्कर/पढ़शकर अप्यपूर्वक कथन आज कहा
और इस बस्तावेज पर इस्ताबर/अगुठा किया

अरोण सिंह नोटरी, बिलासपुर (छ.ग.)

1 4 JUL 2021



0 5 AUG 2021

CAN पारत INDIA TEN RUPEES

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- शिखा पाण्डेय उम्र 25 वर्ष,
 पिता श्री रविशंकर पाण्डेय
 निवासी— संत कबीरदास महिमा नगर सिरगिट्टी
 बिलासपुर (छ.ग.) पिन—495004
 आधार नं.— 850098531837

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर शिखा पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

S P. S

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 05.08.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह:- m 1 S. B. Chambravanshi


2 De Mistaco

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर प्राचार्य .....डी.पी.विग्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ न

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUNG MPRESSION
मेरे समझ इस ः गर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर स्त्रीं क्षेत्र कथन आज कक्षा
और इस वस्तावेज पर इस्ताक्षर/अगूठा कियः
अरुण सिंह
नोटरी,
बिलासपुर (छ ग.)
0 5 AUG 2021



0 6 0C1 2021



# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

#### (Contract for Teaching)

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- दिव्यांशु स्वर्णकार उम्र 22 वर्ष,
 पिता श्री धनेंद्र कुमार स्वर्णकार
 निवासी— 101 वार्ड नं. 10 सोनार गली अकलतरा
 जॉजगीर चॉपा (छ.ग.) पिन—495552
 आधार नं.— 941641096363

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर दिव्यांशु स्वर्णकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

WOTAR.

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 06.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :- hr.

2 (Do M.S Telli)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर प्राचार्य ......डी.पी.विप्र.मसविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार क्रिमेहस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMP PRESSION

मेरे समझ इस दर ार संबंधित व्यक्ति ने
पक्कर/पक्वाकर अपन्यूनंक कथन आज कक्ष और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

Page 01070 2928



0 7 OCT 2021

प्रथम पक्षकार



## अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- प्रकाश चतुर्वेदी उम्र 24 वर्ष,
 पिता श्री घनश्याम बिहारी चतुर्वेदी
 निवासी— विष्णु चौक यादव मोहल्ला तिफरा
 बिलासपुर (छ.ग.) पिन—495001
 आधार नं.— 932566213506

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

निलखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर प्रकाश चतुर्वेदी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितींय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 07.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMP \*\*\*PRESSION **पर संबंधित व्यक्ति ने** पढ़कर/पढ़वाकर कर्न्युर्वक कथन आज का और इस दस्तावेज पर इस्ताबर/अगुठा किः

नोटरी बिलासपुर (छ.ग.)

0 7 OCT 2021

बिलासपुर (छ.ग.) 0 5 JAN 2021



# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

#### (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय. पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो. अंजू हलवाई उम्र 26 वर्ष, पिता श्री कोमल चंद्र हलवाई निवासी- सुभाष नगर कॉजी हाउस के पास गोंडपारा बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001 आधार नं.- 375845790513

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर अंजू हलवाई को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 05.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढकर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी:पी:विप्र:महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN IGNED / THUMP IMPRESSION बेरे समक्ष इस दम ें पर संबंधित व्यक्ति ने कर/पद्भाकर श्राप्यपूर्वक कवन आज कक्ष भीर इस दस्तावेच पर इस्ताखर/अगुठा किया प्ररूप सिंह नोटरी बिलासपुर (छ.ग.)

0 5 JAN 2021

(.ग.च) प्रमामक 11 5 AUG 2021



# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो. इरना पटेल उम्र 27 वर्ष. पिता श्री ईश्वर प्रसाद पटेल निवासी- रविन्द्रनाथ टैगोर नगर मंगला चौक बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001 आधार नं.-271607990552

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर झरना पटेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतू नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतृष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 15.08.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

2 Dr. Abha Tiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMP IMPRESSION बेरे समझ इस एकालेल पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़वाकर भावज्यूर्वक कथन आज कडा और इस बस्तावेच पर बस्ताधर/अगृठा किया अरुण सिंह नोटरी विलासपुर (छ.ग.) 1 5 AUG 2021





अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो. कांची बाजपेयी उम्र 21 वर्ष,
 पिता श्री विकास कुमार बाजपेयी
 निवासी— वार्ड नं.17 निरंकारी भवन ईमलीपारा
 बिलासपुर (छ.ग.) पिन—495001
 आधार नं.—712169354380

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर कांची बाजपेयी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 11.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1(अगराम् -यन्त्वंशी)


2 Do ms Cela

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (ह. :.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


Lunchy



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे सम्बा इस दस्तर रेट पर संबंधित व्यक्ति ने
पड़कर/पड़वाकर अपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर इस्ताबार/अगूठा किया

खरुण सिंह नोटरी, बिलासपुर (छ.ग)

1 1 OCT 2021



# 4 JUL 2021



# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो. कैलाश देवांगन उम्र 23 वर्ष,
 पिता श्री घनाराम देवांगन
 निवासी— म.नं.409 पिपरिया कवर्धा
 (छ.ग.) पिन—491995
 आधार नं.—934953526332

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर कैलाश देवांगन को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

Toringias.

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह:- रिंट 1 (मगराम-सन्द्रवृंश्वति) 2 (में M.S. Cettis) प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर प्राचार्य ....डी:पी:विप्र:महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर केलाश



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMP !MPRESSION
मेरे समक्ष इस दाः पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर क्ष्मपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर इस्ताक्षर/अमूठा किया
अरुण सिंह
नोटरी

नोटरी, विलासपुर (छ.ग.)

1. 4 JUL 2021

बिलासपुर (छ.ग.) 2 1 OCT 2021



# अध्यापन कार्य हेत् अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्राचार्य डी पी विप्र महाविद्यालय. प्रथम पक्षकार पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार प्रो. तरूण कुमार बिश्वास उम्र 26 वर्ष, पिता श्री खिरोद बिश्वास निवासी- म नं 54 बायसी कालोनी रायगढ (छ.ग.) पिन-496116 आधार नं.-725497638245

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर तरूण कुमार बिश्वास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेत् नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीयं पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

RI WELL

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 21.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

(स्माराम्-मत्रवृत्ती)

2 ( Jo My Chu)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्याल बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMP IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दरता पर संबंधित व्यक्ति ने
पक्कर/पद्धवाकर आन्यपूर्वक कथन आज कहा
और इस वस्तावेज पर इस्ताक्षर/अगुठा किया

अरुण सिंह नोटरी, बिलासपुर (छ.ग.)

12 1 OCT 2021





# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

### (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- लोकेश कुमार वर्मा उम्र 29 वर्ष,
 पिता श्री बसंत कुमार वर्मा
 निवासी— म.नं.39 वार्ड नं.12 खपरी बेमेतरा
 (छ.ग.) पिन—491340
 आधार नं.—503687408179

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर लोकेश कुमार वर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाम प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सिहत प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :- कि

1 S. R. Chambravanshi

2 (Do M. s titi)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.भ.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समग्र इस दस्ता पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्तावार/अमूठा किया

अरुण सिंह नोटरी बिलासपुर (छ.ग.)

1 4 JUL 2021





#### (Contract for Teaching)





प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो. अर्चना सिंह टाकुर उम्र 26 वर्ष निवासी- वार्ड -02, मस्तुरी बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495551

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर प्रो. अर्चना सिंह ठाक्र को महाविद्यालय प्रबंधन 2. द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश
- भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.11.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

m.s. Tamboli

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर


री.पी.विप्र. महाविद्यालय..... बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

#### SIGNATURE ATTESTED



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORM BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMB IMPRESSION रेरे समक्ष इर रहारवेच पर संबंधित व्यक्ति ने पढकर/पढ़वा हर शपधपूर्वक कथन आज कहा और इस दस्तावेण पर हस्ताकर/अनुतः विका अरुण सिंह बिलासपुर (छ.ग.)





अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- सुप्रिया श्रीवास्तव उम्र 27 वर्ष,
 पिता श्री राजीव श्रीवास्तव
 निवासी— एम.आई.जीं1/7 नूतन इनक्लेव नूतन चौक सरकण्डा बिलासपुर(छ.ग.) पिन—495001
 आधार नं.—718739570637

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर सुप्रिया श्रीवास्तव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 15.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष रथान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह:- <u>m</u> 1 S.R.Chambrovanshi

2 Do. H. S Catin)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMP IMPRECISION
मेरे समझ इस दर्भ पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर श्रान्यपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर इस्तावार/अगुठा किया

अरुण सिंह नोटरी, बिलासपुर (छ.ग.)

.1 5 JUL 2021





# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. नेहा मेंघानी उम्र 29 वर्ष,
' पिता श्री घनश्याम मेंघानी
निवासी— सिंधी मोहल्ला मसानगंज बिलासपुर
(छ.ग.) पिन—495001
आधार नं.—753438518415

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर नेहा मेंघानी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार जैव रसायन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

ridie:- (Outristing - closique)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विष्र.महातिराज्य बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Maghan



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समझ इस दर्ग पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकः .....थूर्वक कथन आज कहा
और इस वस्ताकेन पर हस्ताबार/अयुठा किया
आरुण सिंह

खरण सिंह नोटरी, बिलासपुर (छ.ग.)

1 4 JUL 2021

TEN RUPEES

अध्यापन कार्य हेत् अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- भागवत कौशिक उम्र 29 वर्ष, पिता श्री जसकरन कौशिक निवासी- चौधरी गली इमलीभाठा बंधवापारा सरकण्डा बिलासपुर(छ.ग.) पिन-495001 आधार नं.-610614227788

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय. पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर भागवत कौशिक को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-1 S.R. Chambravanshi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर ···डी:पी:विप्र:महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUM! IMPRESSION पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़वाकर सारमपूर्वक कथन आज काप और इस दस्तावेज पर इस्ताक्षर/अगुठा किया

प्ररूण सिंह नोटरी बिलासपुर (छ.ग.)

1 4 JUL 2021



# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

### (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो\_ सपना मिश्रा उम्र 26 वर्ष, पिता श्री केशरी कुमार मिश्रा निवासी- साहु मोहल्ला छुरी कटघोरा कोरबा (छ.ग.) पिन-495450 आधार नं.-881650170512

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर सपना मिश्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतू नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेंगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-1 S.R. Chandravanshi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर






SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMB IMPRESSION बेरे समझ इस दरकोड़ पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़वाकर श्वयपूर्वक कथन आज कहा और इस दस्तावेज पर इस्ताधर/अगुठा कि ।

> अरुण सिंह नोटरी, बिलासपुर (छ.ग.)

1 4 JUL 2021





## (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- वर्षा रानी दुबे उम्र 26 वर्ष, पिता श्री बालमुकुन्द दुबे निवासी- वार्ड नं. 02 खरौद जॉजगीर चांपा (छ.ग.) पिन-49555 आधार नं.-554978884979

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर वर्षा रानी दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-1 S. R. champravamshi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





EMNLY AFFIRMED OR SWORN EFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMB IMPRESSION मेरे समझ इस दस्टारंत पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पढ़वाकर शपधपूर्वक कथन आज कहा और इस दस्तावेच पर इस्ताबर/अगूठा किया

> क्रण सिंह नोटरी बिलासपुर (छ.ग.)

1 4 JUL 2021

अरुण रिगंह कलासपुर (छ.ग.) ० ९ NOV 2021

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

TEN RUPEES

MANCELLED

अरुण विंह

विल्यान (छन्।)

CANCELLED

दस रुपये

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- अंजली वैष्णव उम्र 28 वर्ष,
पिता श्री विष्णु दास वैष्णव
निवासी— कपिल नगर नया सरकण्डा बिलासपुर
(छ.ग.) पिन–495001
आधार नं.–457444531305

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर अंजली वैष्णव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पंक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 09.11.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :- In 1 S.R. Chamilton remeti

2. January Cook

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य जी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMP IMPRESSION
मेरे समण्ड इस कार्या पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर / ५० वर्षा पर अस्ताक्षर आगृठा कि ज्ञे
और इस बस्तावेज पर अस्ताक्षर/अगृठा कि ज्ञे
अस्मिण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

0 9 NGV 2021





(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- आभा बाजपेयी उम्र 41 वर्ष,
 पति श्री ज्योति कुमार बाजपेयी
 निवासी— कतियापारा जूना बिलासपुर
 (छ.ग.) पिन—495001
 आधार नं.—260419933982

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य

नेम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर आभा बाजपेयी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।



अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 10.08.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर Author baspi



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMB IMPRESSION मेरे सपन इस कर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर/पद्याकाः ा ूर्वक कथन आज कहा और इस दस्तावेज पर इस्ताहार/अगुठा किया

> अरुण सिंह नोटरी बिलासपुर (छ.ग.)

1 0 AUG 2021

अरुण सिंह नोटरी बलासपुर (छ.ग.) 2 OCT 2021



# अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार – प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रो.- नेहा चनानी उम्र 32 वर्ष,
 पति श्री रविशंकर चनानी
 निवासी— आर 9/37 रामावैली चकरभाठा बिलासपुर
 (छ.ग.) पिन—495220
 आधार नं.—457466290386

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर नेहा चनानी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

Scanned with CamScanner

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।




अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 12.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-	m.
1	
	Ed.
2 Do.	plus (itri)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य डी.पी.विप्र.महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समझ इस दस्ताने पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अपन्यूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तानेज पर इस्ताक्षर/अगुठा किया

अरुण सिंह नोटरी विलासपर (---)

1 2 OCT 2021







#### (Contract for Teaching)

2021-22

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
 जिला – बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार

श्रीमती अभिलाषा सिंह ठाकुर उम्र 26

पिता : श्री सी.एस. ठाकुर

निवासी- महर्षि स्कूल रोड, मंगला

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर : 475321275009

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार श्रीमती अभिलाषा सिंह ठाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर सांईस विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकिस्मिक अवकाश भुगतान सिहत प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 04.01.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-1 <u>व्यागराम</u> प्रदेश

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

2 51. HATA GARR

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

SOLEMNLY AFFIRM OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED THINKS IMPRESSION
कोरे समक्ष्य पर संबंधित व्यक्ति ने
पहंकर/पहंचाना अपयपूर्वक व्यक्ति पान कहा
पहंकर/पहंचाना अपयपूर्वक व्यक्ति किया।

Arun Kultgar Singh Central Motary Bilaspur (C.G.)



CF On Rupees Two/Five affixed & Notatial Stamp of Rupees 10/affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)



THEELLED 2 3 AUG 2021

(Contract for Teaching)

2021-22

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

श्रीमती निलिमा केशरवानी उम्र 35

हाऊस नं. 22, शिवाजी मार्ग टिकरापारा बिलासपुर

जिला– बिलासपुर (छ.ग.) पिन – 495001

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रीमती निलिमा केशरवानी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकिस्मिक अवकाश भुगतान सिहत प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.08.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

2 3 AUG 2021

गवाह :--

1 व्यागराम - यन्भवत्री

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

2 डां. भनीव विवास

द्वितीय पक्षक्रार का हस्ताक्षर

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
पेरे समझ ्यायाय पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर आपयापूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)



प्रथम पक्षकार —

(Contract for Teaching)

2021-22 प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार – श्री सर्वेश दीप उम्र 25

पिता : श्री भगवान दीन

निवासी– हसबेड़ा चौक, आजाद चौक, छुरीकला

जिला- कोरबा (छ.ग.)

पिन - 495450

आधार नंबर : 737532490467

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
  - यह कि द्वितीय पक्षकार श्री सर्वेश दीप को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकिस्मक अवकाश भुगतान सिहत प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- वह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 09.12.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

7.9 DEC 2027

गवाह :--

1210177 -4-5929

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकारू कुा हस्ताक्षर

SI: HATY PARTY SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN

BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMB IMPRESSION

रेरे समझ विज्ञानेण पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़ंकर/पढ़वाकर अपधपूर्वक कथन आज कहा और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया ।

> Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)